न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 62/2017 जिला सीकर

पूर्णाराम पुत्र चुन्नाराम, जाति जाट, निवासी शास्त्री नगर नेहरू पार्क, वार्ड नम्बर 14, सीकर तहसील व जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमति सुरजी पुत्री चुन्ना राम पत्नी स्व. श्री केशर देव, जाति जाट, निवासी गाडोता, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
2. बीरबल पुत्र चुन्ना राम जाति जाट निवासी बलरामनगर पुरोहित जी की ढाणी पुलिस लाईन के पीछे सीकर ।
3. केसर पुत्र चुन्ना राम जाट निवासी मीलों की ढाणी तन मीरण, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर हाल न्यायिक अभिरक्षा जिला कारागृह सीकर।
4. तुलछा राम पुत्र चुन्नाराम, जाति जाट, निवासी शास्त्री नगर नेहरू पार्क, वार्ड नम्बर 14 , सीकर तहसील व जिला सीकर ।
5. शिव भगवान पुत्र घासीराम, जाति जाट, निवासी वार्ड नम्बर 15, विक्रम स्कूल के पास, सीकर तहसील व जिला सीकर ।
6. मंजू पुत्री शिवभगवान
7. ममता पुत्री शिवभगवान
8. सुनीता पुत्री शिव भगवान
9. किरण पुत्री शिवभगवान
10. मुकेश पुत्र शिवभगवान

समस्त जाति जाट, निवासी वार्ड नम्बर 15 विक्रम स्कूल के पास सीकर ।

11. तहसीलदार तहसील कार्यालय लक्ष्मणगढ, जिला सीकर
12. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा सेवदबडी जिला सीकर जरिये प्रबन्धक

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर सीकर दिनांक 14.11.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री बी.एल.वर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्याम बाबू पारीक

निर्णय

दिनांक– 11.9.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 14.11.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम मीलों की ढाणी तन मीरण, तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 101 रकबा 3.63 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 111 रकबा 2.10 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 5.73 हक्टेयर का खातेदार चुना पुत्र रतना था जिसके फौत

होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 660 तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा दिनांक 2.6.81 को चुना के पुत्रगण अपीलान्ट पूर्णाराम, रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 4 बीरबल, केशर व तुलछा के नाम स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर मृतक चुना की पुत्री रेस्पोंडेन्ट सुरजी द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.11.17 द्वारा विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट के कथनों के अनुसार वादग्रस्त आराजियात अपीलान्ट सुरजी व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता मृतक चुन्ना राम की पुश्तैनी भूमी होने , अपीलान्ट मृतक खातेदार की पुत्री होने से विरासत का नामांतरकरण दर्ज करते समय उसका नाम नामांतरकरण में सम्मिलित नहीं किया गया है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान के अनुसार काश्तकार की निर्वसीयतीय मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकार पर्सनल लॉ के अनुसार निर्धारित किया जायेगा व तद्नुार अभिलेख में दर्ज कया जायेगा एवं चुनौतीग्रस्त नामांतरकरण संख्या 660 दिनांक 2.6.81 में अपीलान्ट का नाम बहैसियत पुत्री दर्ज नहीं किया जाना कानूनी नक्श होने से दुरूस्ती योग्य मानते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 660 दिनांक 2.6.81 अपारस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जॉच की जाकर पुनः नये सिरे से नामांतरकरण तस्दीक करें । अति. जिला कलक्टर सीकर के अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रार्थना पत्र बाबत इजाजत अपील के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय खारिज किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार चुन्नाराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण राजस्व अभियान दिनांक 2.6.81 को मृतक की पुत्रियॉ सुरजी व मन्सी की सहमति से मृतक के पुत्रों के नाम तस्दीक किया था । मृतक चुन्नाराम की पुत्री मन्सी की दिनांक 27.10.2009 को मृत्यु हो गई थी ओर सुरजी पुत्री चुन्नाराम ने प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ 33 साल बाद अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी तथा विलम्ब का कारण संताषप्रद नहीं होने पर भी अपीलाधीन आदेश द्वारा विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील स्वीकार कर पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार को रिमाण्ड करने में विधिक त्रुटि की है । विवादित भूमि मृतक चुन्ना राम के चारों पुत्रों के नाम आने के बाद चारों भाईयों ने मनबंट के आधार पर विभक्त होकर अपीलान्ट द्वारा राजस्थान ग्रामीण बैंक सेवदबडी, तहसील लक्ष्मणगढ से भूमि पर ऋण लेकर भूमि को मोरगेज करा रखा है, जिसको पक्षकार नहीं बनाया गया । उनका कहना था कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय से लडकियों को कोपार्शनर दिनांक 9.9.2005 से माना है । ऐसी स्थिति में 9.9.2005 से पूर्व के प्रकरणों में लडकियों को उत्तराधिकार में भूमि नहीं दी जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दु पर खारिज नहीं करने तथा प्रकरण को सही रूप से समझे बिना अपीलाधीन आदेश से अपील स्वीकार की, जो स्पीकिंग आदेश नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे । उनके द्वारा डी.एन.जे. 2015 सुप्रिम कोर्ट पेज 1088–1101 की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार चुन्नाराम था जिसके चार पुत्र पूर्णाराम, बीरबल, केशर एवं तुलछाराम व दो पुत्रियॉ सुरजी व मनसी है जिनमें से मनसी फौत हो चुकी है एवं उसके वारिस रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 से 10 है । तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा मृतक खातेदार चुन्नाराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण रेस्पोंडेन्ट् संख्या 1 जो कि मृतक चुन्नाराम की पुत्री है, को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही केवल पुत्रों के नाम तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 मृतक चुन्नाराम की जायन्दा पुत्री हाने से प्रथम श्रेणी की वारिस है । तहसीलदार द्वारा बिना वारिसान की जॉच किये व उन्हें बिना सुने प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है, जो निरस्तनीय है । उनका कहना था कि चुन्नाराम निर्वसियत फौत हुये थे तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृतक की पुत्रियों का भी मृतक के पुत्रों के समान हक व हिस्सा था, लेकिन प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने में उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को अनदेखा किया गया है । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किया है तथा प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जॉच कर पुनः नये सिरे से नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु रिमाण्ड किया है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार चुन्नाराम की विरासत के नामांतरकरण का है । चुन्नाराम के चार पुत्र अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 4 एवं दो पुत्रियॉ रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 सुरजी एवं मनसी में से मनसी की मृत्यु हो गई जिसक वारिस रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 से 10 है , लेकिन मृतक खातेदार चुन्नाराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा पुत्रियों को छोडते हुये केवल चार पुत्रों के नाम तस्दीक किया है जिसके खिलाफ मृतक चुन्नाराम की पुत्री सुरजी की अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.11.17 द्वारा विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट के कथनों के अनुसार वादग्रस्त आराजियात अपीलान्ट सुरजी व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता मृतक चुन्ना राम की पुश्तैनी भूमी होने , अपीलान्ट मृतक खातेदार की पुत्री होने से विरासत का नामांतरकरण दर्ज करते समय उसका नाम नामांतरकरण में सम्मिलित नहीं किया गया है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान के अनुसार काश्तकार की निर्वसीयतीय मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकार पर्सनल लॉ के अनुसार निर्धारित किया जायेगा व तद्नुार अभिलेख में दर्ज किया जायेगा एवं चुनौतीग्रस्त नामांतरकरण संख्या 660 दिनांक 2.6.81 में अपीलान्ट का नाम बहैसियत पुत्री दर्ज नहीं किया जाना कानूनी नक्श होने से दुरूस्ती योग्य मानते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 660 दिनांक 2.6.81 अपारस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जॉच की जाकर पुनः नये सिरे से नामांतरकरण तस्दीक करें ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि पिता की पुश्तैनी भूमि में उसके पुत्र, पुत्रियॉ एवं विधवा का विधिक रूप से हक व अधिकार बनता है , लेकिन इस प्रकरण में मृतक चुन्नाराम की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा मृतक की पुत्रियॉ को छोडते हुये केवल पुत्रों के नाम ही तस्दीक किया है।

बिना वारिसान की जॅाच किये तथा विधिक वारिस मृतक की पुत्रियों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना तस्दीक किया है, जो विधिसम्यक नहीं है । विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी प्रभावित/हितबद्ध व्यक्ति के हितों के विपरीत आदेश पारित करने से पूर्व उन्हे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ मृतक खातेदार की पुत्री रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 सुरजी द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.11.2017 द्वारा स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 660 दिनांक 2.6.1981 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जॅाच की जाकर पुनः नये सिरे से नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है , जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 11.9.2018 को सुनाया गया ।

हस्ता.

(चित्रा गुप्ता)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर